(4)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 316-पीबीआर/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 10-1-2000 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर प्रकरण क्रमांक 160/94-95/अपील.

श्रीमती राधाबाई बेवा गबू जी
निवासी ग्राम जलोदिया पंथ
तहसील देपालपुर जिला इन्दौर
.....आवेदिका

विरूद्ध

1- श्रीमती लीलाबाई पति रामेश्वर
निवासी ग्राम आकासौदा
तहसील देपालपुर जिला इन्दौर
2- रामप्रसाद पिता रामचन्द्र
निवासी ग्राम जलोदिया पंथ
तहसील देपालपुर जिला इन्दौर
.....अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/8/18 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित दिनांक 10-1-2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राजस्व निरीक्षक मण्डल 2 देपालपुर के नामान्तरण पंजी क्रमांक 95 में पारित आदेश दिनांक 18-5-92 के विरूद्ध अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, देपालपुर के समक्ष दिनांक 26-10-94 को दो वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 8/अपील/94-95 दर्ज कर दिनांक 28-2-95 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 10-

1-2000 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 28-2-95, नायब तहसीलदार, देपालपुर का आदेश दिनांक 30-12-94 एवं राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक18-5-92 निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वह उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देकर विधि अनुरूप आदेश पारित करें अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अत: प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1)अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं वस्तुस्थिति के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है ।

(2) विवादित आदेश द्वारा मृतक सेवा, जो कि आवेदिका का ससुर है, के मृत्यु पश्चात उसके पुत्र गबू के वादोक्त भूमि पर हुए नामान्तरण को भी निरस्त किया गया है, जबकि उक्त आदेश की कोई अपील नहीं की गई थी । ऐसी स्थिति में दिया गया आदेश निरस्त होने योग्य है ।

(3) अनावेदिका क्रमांक 1 लीलाबाई को उसके पिता के पश्चात बादोक्त भूमि में स्वत्व प्राप्त हुए थे, उसी समय नामान्तरण के प्रकरण में उसको आपत्ति करना चाहिए थी, जो उसने नहीं की । ऐसी स्थिति में भाई गबू के मृत्यु के पश्चात आपत्ति की गई है, जो कि स्पष्टत: अवधि बाह्य थी, इस कानूनी मुद्दे को नहीं देखते हुए जो आदेश दिया है, वह निरस्त होने योग्य है ।

(4) अनावेदिका क्रमांक 1 ने पिता की मृत्यु पश्चात आपत्ति प्रस्तुत नहीं की, इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है ।

(5) अनावेदिका क्रमांक 1 को वारिस के नाते अपना हक व्यवहार न्यायालय से स्थापित कराना चाहिए था, इस वैधानिक स्थिति पर अपर आयुक्त द्वारा कोई ध्यान नहीं देने में त्रुटि की है ।

(6) अनावेदिका क्रमांक 2 को वैधानिक प्रक्रिया का पालन किये बगैर अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकार बनाया है, जो त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेखित आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अनावेदक पक्ष को बिना सूचना दिये पंजी पर नामांतरण आदेश पारित किया है, जो कि अवैधानिक एवं अनुचित है । अत: अपर आयुक्त ने समय-सीमा के सम्बन्ध में जो निष्कर्ष निकाला है, वह

उचित है । चूंकि अपर आयुक्त द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देकर विधि अनुरूप पुन: आदेश पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया है, जहां आवेदिका को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ अपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित दिनांक 10-1-2000 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती हे ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर